न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/42/2018

1. स्व. बस्तीमल पुत्र खीमसिंहजी के कायम मुकाम :—

1/1 मदनसिंह पुत्र स्व. श्री बस्तीमलजी

1/2 परबतसिंह पुत्र स्व. श्री बस्तीमलजी

1/3 राजूसिंह पुत्र स्व. श्री बस्तीमलजी

1/4 पवन कंवर पुत्री स्व. श्री बस्तीमलजी

1/5 श्रीमती उमराव कंवर पत्नी स्व. श्री बस्तीमलजी

जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण खीमेल, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

...... अपीलार्थी

ब ना म

1. श्री स्वामी आत्मानंद महिला शिक्षण संस्थान खीमेल, जरिये अध्यक्ष श्री रामसिंह राजपुरोहित हाल निवासी गांव विगरला, तहसील रानी जिला पाली (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली

..... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :—

1. श्री मनीष राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 2

निर्णय **दिनांक :** 31/08/2021

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध पेश किया कि गांव

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरहद मौजा खीमेल, तहसील बाली जिला पाली में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 507 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.09 हैक्टेयर व खसरा संख्या 510 रकबा 5.89 हैक्टेयर आयी हुई है, उपरोक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर पक्षकारान को भविष्य में एक दुसरे के खसरे में बेदखली इत्यादि से रोका जावे। वाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में दिनांक 13.06.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये, जिसकी पालना में प्रस्तावित विभाजन रिपोर्ट पेश होने पर दिनांक 31.05.2017 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये, के विरूद्ध दो अलग अलग अपील संख्या 41/2018, 42/2018 पेश की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दौराने लम्बित रहने अपील रेस्पोडेण्ट की ओर से अपील की पोषणीयता बाबत् प्राथमिक आपत्ति पेश की गई, जिस पर दोनों पक्षो की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

2. रेस्पोडेण्ट की ओर से अपील की पोषणीयता बाबत् प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अपील मृतक बस्तीमल के वारिसान अपीलाण्ट संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से पेश की गई है, लेकिन अपील के साथ जो वकालतनामा प्रस्तुत हुआ है, उस पर केवल अपीलाण्ट संख्या 1/3 राजूसिंह के ही हस्ताक्षर है, शेष अपीलाण्ट्स के न तो वकालतनामा पर, न ही अपील मीमो पर हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट संख्या 1/1, 1/2, 1/4 व 1/5 की ओर से अपील प्रस्तुत होना न तो मानी जा सकती है, न ही समझी जा सकती है। अपील केवलमात्र राजूसिंह द्वारा ही पेश करना माना व समझा जाएगा, इसलिए अपील पोषणीय नहीं है। उपरोक्त अपील संख्या 1/1, 1/2, 1/4 व 1/5 की ओर से अपील प्रस्तुत करने के अधिकार म्याद कानून अनुसार समाप्त हो चुके है, इस स्तर पर न तो उपरोक्त अपीलाण्ट की ओर से वकालतनामा पेश हो सकता है, न ही उनकी ओर से अपील चलाई जा सकती है। इसके अलावा यह भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 सोहनसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 पुनमसिंह पुत्रगण खीमसिंहजी पक्षकार प्रतिवादी के रूप में नियोजित थे, लेकिन उपरोक्त दोनों अपीलों में उक्त प्रतिवादी संख्या एक व दो को न तो अपीलाण्ट के रूप में न ही रेस्पोडेण्ट के रूप में पक्षकार नियोजित किया है, जो कि आवश्यक पक्षकार है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार होते है, उन्हें अपील में पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक होता है। अपने तर्को के सम्बन्ध में आदेश 41 नियम 20 सीपीसी एवं आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के प्रावधानों के सम्बन्ध में निवेदन किया, साथ ही 1992 आरआरडी पेज 608(a), 1969 आरआरडी पेज 192, 1973 आरआरडी पेज 778, 1982 आरआरडी पेज 312, 1990 आरआरडी पेज 389 व 1994 आरआरडी पेज 168 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये तथा न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में अपील को खारिज करने का निवेदन किया। साथ ही मैरिट पर भी निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स की ओर से ही विभाजन का वाद पेश किया था और अपीलाण्ट्स ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहा था, उसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की है और प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये है। प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व केम्प कोर्ट बाबत् नोटिस अपीलाण्ट उमराव कंवर को दिये गये, जो शेष अपीलाण्ट्स की माता है, इसी तरह अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व पेशी दिनांक का नोटिस अपीलाण्ट्स की ओर से अपीलाण्ट राजूसिंह द्वारा तामिल किया गया है, ऐसी सुरत में विधिवत रूप से सूचना दी जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिवत है, इसलिए भी अपील मैरिट पर भी खारिज योग्य है, क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा ही विभाजन का वाद पेश किया था और अपीलाण्ट के वाद अनुरूप ही प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित की गई है, इसलिए प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री से प्रार्थी न तो व्यथित है, न ही प्रभावित है, इस कारण से भी अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. अपीलाण्ट अधिवक्ता की ओर से उपरोक्त प्राथमिक आपत्ति का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस की गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपील सभी अपीलाण्ट्स की ओर से पेश की गई है, भूल से वकालतनामा पर केवल अपीलाण्ट राजूसिंह के ही हस्ताक्षर है, शेष के हस्ताक्षर रह गये है और अपील मीमो पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर है, साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा उनके हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या तीन को विक्रय कर दी थी, इसलिए प्रतिवादी संख्या एक व दो को पक्षकार नहीं बनाया। ऐसी स्थिति में प्राथमिक आपत्ति पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावें। साथ ही मैरिट पर निवेदन किया कि अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया, इसलिए अंतिम निर्णय व डिक्री कायम रखे जाने योग्य नहीं है। वाद अपीलाण्ट्स की ओर से अवश्य पेश किया था, लेकिन वाद में निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं देकर केम्प कोर्ट में ही प्रकरण का निर्णय पारित किया है, जो विधिवत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

4. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील में सभी अपीलाण्ट्स की ओर से अपील मीमो पर अथवा वकालतनामा पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है, अगर सभी अपीलाण्ट्स के हस्ताक्षर नहीं है तो ऐसी अपील सभी अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत होना नहीं माना जा सकता है। स्वीकृत रूप से उपरोक्त दोनों अपीलो में अपील मीमो पर केवल अधिवक्ता के हस्ताक्षर है और दोनों अपीलो में अपीलाण्ट की ओर से वकालतनामा पेश हुआ है, उस पर केवल अपीलाण्ट संख्या 1/3 राजूसिंह के हस्ताक्षर है, अन्य अपीलाण्ट्स के न तो वकालतनामा पर हस्ताक्षर है, न ही अपील मीमो पर हस्ताक्षर है, ऐसी सुरत में अपीलाण्ट संख्या 1/3 के अलावा अन्य अपीलाण्ट्स की ओर से अपील पेश होना नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त अपीलाण्ट्स की ओर से अब इस स्तर पर अपील न तो पेश की जा सकती है, न ही इस अपील में वकालतनामा पेश हो सकता है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

क्योकि उनकी ओर से अपील अवधि बाधित हो चुकी है। इसके अलावा रेस्पोडेण्ट की ओर से अन्य आपत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो भी वादी अथवा प्रतिवादी पक्षकार होते है उन्हें सभी को अपीलाण्ट अथवा रेस्पोडेण्ट के रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या एक व दो सोहनसिंह एवं पुनमसिंह पक्षकार थे, जिन्हें दोनों अपीलो में अपीलाण्ट अथवा रेस्पोडेण्ट के रूप में पक्षकार नहीं बनाया है, ऐसी अवस्था में रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों अनुरूप आवश्यक पक्षकार के अभाव में अपील खारिज योग्य है, क्योंकि उनके विरूद्ध अब अपील म्याद कानून के अनुसार पेश नही हो सकती है। जहां तक मैरिट का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वाद अपीलाण्ट्स की ओर से ही बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने बाबत् पेश किया गया था और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर ही प्राथमिक डिक्री पारित की है, उसकी पालना में प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु वादीगण को नोटिस दिया गया था, बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर अंतिम डिक्री पारित की है, इस प्रकार से प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री व निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से मैरिट पर भी अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलाण्ट्स बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बहाल रखे जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 3/08/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑर्डर 41, रूल्स जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceedure Coade, Appendix "4"9)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली / निर्णय व डिक्री / 42 / 2018

1. स्व. बस्तीमल पुत्र खीमसिंहजी के कायम मुकाम :–
   1/1 मदनसिंह पुत्र स्व. श्री बस्तीमलजी
   1/2 परबतसिंह पुत्र स्व. श्री बस्तीमलजी
   1/3 राजूसिंह पुत्र स्व. श्री बस्तीमलजी
   1/4 पवन कंवर पुत्री स्व. श्री बस्तीमलजी
   1/5 श्रीमती उमराव कंवर पत्नी स्व. श्री बस्तीमलजी
   जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण खीमेल, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

...... अपीलार्थी

ब ना म

1. श्री स्वामी आत्मानंद महिला शिक्षण संस्थान खीमेल, जरिये अध्यक्ष श्री रामसिंह राजपुरोहित हाल निवासी गांव विगरला, तहसील रानी जिला पाली (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील संख्या 42 / 2018 बनाराजगी निर्णय व डिक्री अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाली दिनांक 13.06.2016, राजस्व वाद संख्या 01 / 2012 दावा बाबत् 53 व 188 राज. टिनेन्सी एक्ट

यह अपील बतारीख 31/08/2021 को रूबरू हमारे व बहाजिर श्री मनीष राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स, श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सख्या 1 व राजकीय अधिवक्ता समायत होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलाण्ट्स बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बहाल रखे जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर, मुहर अदालत आज तारीख 31/08/2021 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली